अधिसूचना   नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 15/2016- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.   (अ).- केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 30/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, जो सा.का.नि. सं0 421(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 16 के सामने स्तंभ (3) की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

> "जिन पर कोई ब्रांड नाम है या जिसका विक्रय किसी ब्रांड नाम से किया जाता है और खुदरा विक्रय कीमत (खु.वि.की.) 1000 रु0 और उससे अधिक है, से भिन्न सभी माल ।"।

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(के.कालिमुत्तु)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 30/2004-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र, असाधारण, में, सा.का.नि. 421(अ), तारीख 9 जुलाई, 2004 में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं.37/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि.सं. 571(अ) तारीख 21 जुलाई, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई ।